

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
पत्रांक-2183 /FP/UK/VELEC/33107/2018 :देहरादून:दिनांक:13 फरवरी, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय-25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:-जनपद उत्तरकाशी ब्लॉक-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में ग्राम-डाटमीर के विद्युतीकरण हेतु 0.95 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०९/५३/२०१८/एफ०सी०/1503 दिनांक 24-10-2018.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

1. शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर 950 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रू० 10,45,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रू० 6,24,150.00 (छः लाख चौबीस हजार एक सौ पचास) मात्र ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित strip plantation की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-1)
4. शर्त संख्या-4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण में उपरोक्तानुसार कुल जमा की गई धनराशि रू० 16,69,150.00 मात्र ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
6. शर्त संख्या-6 के अनुपालन में 950 वृक्षों के वृक्षारोपण योजना संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)
7. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या 2183 /FP/UK/VELEC/33107/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार/राष्ट्रीय पार्क, पुरोला, उत्तरकाशी।
2. अधिशासी अभियन्ता (परियोजना), ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०, कांवली रोड, देहरादून।

(अनूप मलिक)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी